



कार्यालय, नगर निगम जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टॉक रोड़, जयपुर-15)

क्रमांक:-एफ-20()/उपा.(वि.)/ननिज/19/

दिनांक:- .08.2019

निविदा सूचना सं. 48/ वर्ष 2019-20

नगर निगम जयपुर की ओर से निम्न विद्युत कार्य हेतु नगर निगम जयपुर में व अन्य विभागों में नये नियमों के नियमानुसार श्रेणीवार EWSD श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निम्न कार्य हेतु निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट हेतु ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

| कार्य का विवरण | सम्बन्धित अधिकारी का नाम |
|--|---|
| नगर निगम मुख्यालय के अधीन आने वाले भवनों के वाटर कूलरों का वार्षिक रखरखाव का कार्य, वर्ष 2019-20 | अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन उपायुक्त (विद्युत) |
| ऑन लाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि | दिनांक 27.08.2019 से दिनांक 09.09.2019 सायं 6.00 बजे तक |
| कार्य की अनुमानित लागत | 40.05 लाख रु. |
| कार्य अवधि | एक वर्ष |
| निविदा प्रपत्र शुल्क | 500.00 रुपये |
| अमानता राशि | जयपुर नगर निगम में पंजीकृत संवेदकों से कार्य की अनुमानित राशि का 0.50% (रु. 20025.00) और अन्य विभागों में पंजीकृत संवेदकों से 2%(रु 80100.00) |
| प्रोसेसिंग फीस | 500.00 रु. |
| Envelop- 1 Opening | 11-09-2019 at 11.00 am |
| Financial Bid (Envelop- 2 Opening) | तकनिकी निविदा सफल होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी। |

निविदा दाताओं को निविदा शुल्क, अमानता राशि एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन स्थानीय निकाय विभाग, राज0, जयपुर की वेबसाईड www.jaipurmc.org पर Submission Date and time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन व WWW.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा। एवं संवेदक द्वारा तकनिकी निविदा में निम्न दस्तावेज स्कैन करना अनिवार्य है दस्तावेज स्कैन नहीं करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

रजिस्ट्रेशन, विद्युत लाईसेंस की छाया प्रति तथा, **Pan card, PF,ESI, GST** में पंजीयन की छाया प्रति एवं संवेदक के हस्ताक्षरित **Annexure A,B,C,D,E** व रख-रखाव के कार्य की हस्ताक्षरित शर्तें भी अपलोड करना आवश्यक है।

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> तथा www.jaipurmc.org पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

(रमेश चन्द शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता एवं पदेन
उपायुक्त (विद्युत)
नगर निगम जयपुर